संख्या-71/2018/1647/सैंतीस-2-2018-1(22)/07टीसी

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-04 मई, 2018

विषयः- **गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) (सामान्य) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-181/पशुधन-2/22/1/4/2018-19, दिनांक-16.04.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-07-गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) के निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू0-1031.25 लाख (रूपये दस करोड़ इकतीस लाख पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
08-कार्यालय व्यय	7.50
09-विद्युत देय	30.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	7.50
13-टेलीफोन पर व्यय	7.50
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	15.00
29-अनुरक्षण	22.50
39-औषधि तथा रसायन	30.00
42-अन्य व्यय	11.25
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	850.00
योग-	**1031.25**

(रूपये दस करोड़ इकतीस लाख पच्चीस हजार मात्र)

1. चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु जिला योजनाओं के जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।
2. मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में स्वीकृत धनराशि से प्रथमतः उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद के तरल नत्रजन एवं सीमेन स्ट्राज के लम्बित बीजकों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. मानक मद 15 में आवंटित धनराशि का विनियमन इस प्रकार किया जाय जिससे पेट्रोल बीजकों का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो सके।
4. मानक मद 29-अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण करने से पूर्व उक्त कार्य हेतु गठित आगणन पर निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/शासन, जो भी सक्षम स्तर हो, का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का उपयोग अनुमोदित जिला योजना के अनुसार उन्हीं मदों/प्रयोजन के लिए किया जाय जिसके लिए स्वीकृति दी जी रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक/संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा।
8. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
9. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-07-गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-71/2018/1647(1)/सैंतीस-2-2018- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
4. सम्बन्धित उप निदेशक/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-71/2018/1647/सैंतीस-2-2018-1(22)/07टीसी, दिनांक-04 मई, 2018 का संलग्नक-

गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.)

(धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	08-कार्यालय व्यय	09-विद्युत देय	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	13-टेलीफोन पर व्यय	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	29-अनुरक्षण	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मेरठ	0.100	0.400	0.100	0.200	1.000	0.200	0.300	0.400	0.120	17.000	19.820
2	बागपत	0.100	0.400	0.100	0.200	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	20.000	22.470
3	गाजियाबाद	0.100	0.400	0.100	0.100	1.000	0.200	0.300	0.400	0.120	6.000	8.720
4	गौतमबुद्धनगर	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	5.000	7.370
5	बुलन्दशहर	0.100	0.400	0.100	0.000	0.850	0.200	0.300	0.400	0.120	30.000	32.470
6	हापुड	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	8.000	10.370
7	सहारनपुर	0.100	0.400	0.100	0.100	0.850	0.200	0.300	0.400	0.120	13.000	15.570
8	मुजफ्फरनगर	0.100	0.450	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	14.000	16.420
9	शामली	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	10.000	12.370
10	मुरादाबाद	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	12.000	14.370
11	अमरोहा	0.100	0.350	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	6.000	8.320
12	रामपुर	0.100	0.400	0.100	0.000	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	7.000	9.270
13	बिजनौर	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	11.000	13.370
14	सम्भल	0.100	0.200	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	7.000	9.170
15	बरेली	0.100	0.600	0.100	0.200	1.000	0.200	0.300	0.400	0.120	11.000	14.020
16	बदायूं	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	10.000	12.370
17	शाहजहांपुर	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	10.000	12.370
18	पीलीभीत	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	7.000	9.370
19	फैजाबाद	0.100	0.600	0.100	0.100	0.500	0.200	0.300	0.400	0.120	7.000	9.420
20	अम्बेडकर नगर	0.100	0.600	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	6.000	8.570
21	सुल्तानपुर	0.050	0.400	0.100	0.000	0.500	0.200	0.300	0.400	0.120	5.000	7.070

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22	बाराबंकी	0.100	0.400	0.100	0.200	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	18.000	20.470
23	अमेठी	0.150	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.620	13.000	15.920
24	गोण्डा	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	11.000	13.370
25	बलरामपुर	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	6.000	8.370
26	बहराइच	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	20.000	22.370
27	श्रावस्ती	0.100	0.200	0.100	0.000	0.300	0.200	0.300	0.400	0.120	2.000	3.720
28	बस्ती	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	10.000	12.370
29	संतकबीर नगर	0.100	0.400	0.100	0.000	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	6.000	8.270
30	सिद्धार्थ नगर	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	10.000	12.370
31	गोरखपुर	0.100	0.400	0.100	0.200	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	7.000	9.470
32	महराजगंज	0.100	0.400	0.100	0.000	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	5.000	7.270
33	देवरिया	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	5.000	7.370
34	कुशीनगर	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	10.000	12.370
35	इलाहाबाद	0.100	0.600	0.100	0.200	1.000	0.200	0.300	0.400	0.240	14.000	17.140
36	कौशाम्बी	0.100	0.400	0.100	0.200	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	6.000	8.470
37	फतेहपुर	0.100	0.400	0.100	0.200	1.000	0.200	0.300	0.400	0.120	14.000	16.820
38	प्रतापगढ	0.100	0.400	0.100	0.200	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	22.000	24.470
39	झांसी	0.100	0.400	0.100	0.100	0.000	0.200	0.300	0.400	0.120	6.000	7.720
40	ललितपुर	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	16.000	18.370
41	जालौन	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	10.000	12.370
42	बांदा	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	6.000	8.370
43	चित्रकूट	0.100	0.400	0.100	0.100	0.100	0.200	0.300	0.400	0.120	4.000	5.820
44	हमीरपुर	0.100	0.400	0.100	0.200	1.000	0.200	0.300	0.400	0.120	13.000	15.820
45	महोबा	0.100	0.400	0.100	0.000	0.100	0.200	0.300	0.400	0.120	9.000	10.720
46	लखनऊ	0.100	0.600	0.100	0.000	1.000	0.200	0.300	0.400	0.120	13.000	15.820
47	उन्नाव	0.100	0.400	0.100	0.100	0.500	0.200	0.300	0.400	0.120	16.000	18.220
48	रायबरेली	0.100	0.400	0.100	0.000	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	12.000	14.270
49	हरदोई	0.100	0.200	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	12.000	14.170
50	सीतापुर	0.100	0.400	0.100	0.200	0.350	0.200	0.300	0.400	0.120	8.000	10.170
51	खीरी	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	7.000	9.370
52	आजमगढ	0.100	0.400	0.100	0.200	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	18.000	20.470

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

53	मऊ	0.100	0.200	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	14.000	16.170
54	बलिया	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	12.000	14.370
55	वाराणसी	0.100	0.400	0.100	0.000	1.000	0.200	0.300	0.400	0.120	5.000	7.620
56	जौनपुर	0.100	0.400	0.100	0.000	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	10.000	12.270
57	गाजीपुर	0.100	0.200	0.100	0.100	0.300	0.200	0.300	0.400	0.120	16.000	17.820
58	चन्दौली	0.100	0.400	0.100	0.000	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	6.000	8.270
59	मिर्जापुर	0.100	0.400	0.100	0.000	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	5.000	7.270
60	सोनभद्र	0.100	0.400	0.100	0.000	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	3.000	5.270
61	संतरविदास नगर	0.100	0.400	0.100	0.000	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	3.000	5.270
62	कानपुर नगर	0.100	0.400	0.100	0.000	0.200	0.200	0.300	0.400	0.120	24.000	25.820
63	कानपुर देहात	0.100	0.200	0.100	0.100	1.000	0.200	0.300	0.400	0.750	28.000	31.150
64	फर्रूखाबाद	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	7.000	9.370
65	इटावा	0.100	0.400	0.100	0.000	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	10.000	12.270
66	कन्नौज	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	10.000	12.370
67	औरैया	0.100	0.300	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.120	13.000	15.270
68	आगरा	0.100	0.500	0.100	0.200	0.650	0.200	0.300	0.400	0.310	12.000	14.760
69	मथुरा	0.100	0.400	0.100	0.200	1.000	0.200	0.300	0.400	0.400	12.000	15.100
70	मैनपुरी	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.200	20.000	22.450
71	फिरोजाबाद	0.100	0.400	0.100	0.200	0.750	0.200	0.300	0.400	0.200	13.000	15.650
72	कासगंज	0.100	0.400	0.100	0.100	0.850	0.200	0.300	0.400	0.200	18.000	20.650
73	एटा	0.100	0.400	0.100	0.100	0.650	0.200	0.300	0.400	0.200	12.000	14.450
74	अलीगढ	0.100	0.400	0.100	0.200	1.000	0.200	0.300	0.400	0.250	21.000	23.950
75	हाथरस	0.100	0.600	0.100	0.200	1.000	0.200	0.300	0.400	0.200	25.000	28.100
योग-		**7.500**	**30.000**	**7.500**	**7.500**	**50.000**	**15.000**	**22.500**	**30.000**	**11.250**	**850.000**	**1031.250**

(रूपये दस करोड़ इकतीस लाख पच्चीस हजार मात्र)

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।